



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित



24 वैशाख, 1946 (श०)

संख्या - 270 राँची, मंगलवार,

14 मई, 2024 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

संकल्प

27 फरवरी, 2024

संख्या-5/आरोप-1-26/2022-21282 (HRMS)--श्री अभय कुमार, झा०प्र०से० (पंचम बैच, गृह जिला-गोड्डा), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी-सह-अंचल अधिकारी, नौडीहा बाजार, पलामू के विरुद्ध ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-2282, दिनांक 21.06.2022 के माध्यम से उपायुक्त, पलामू के पत्रांक-104, दिनांक 03.02.2019 द्वारा आरोप पत्र गठित कर उपलब्ध कराया गया है। आरोप पत्र में श्री कुमार के विरुद्ध निम्नवत् आरोप प्रतिवेदित किया गया-

(क) अनुमंडल पदाधिकारी, छतरपुर के पत्रांक-16, दिनांक 07.01.2019 से अपने जाँच प्रतिवेदन में उल्लेख किये हैं कि परिवादी श्री चंदन कुमार महतम के द्वारा बताया गया कि दिनांक 19.12.2018 को 01.00 बजे अप० में नामुदाग विद्यालय के पास अंचल अधिकारी, नौडीहा बाजार के द्वारा हाईवा नं०- JH05A-2824 (Company No. JH03V89-8925 (Registration No.) पकड़ लिया गया और गाड़ी के चाबी और ड्राइविंग लाईसेंस लेकर चले गये और बोले कि चालान लेकर आओ तो गाड़ी की चाबी मिलेगी। चालान लेकर आने के बाद पचास हजार रुपये की माँग की गई। उनके द्वारा बताया गया कि पाँच हजार रुपये से ज्यादा नहीं दे सकते हैं। हमारे पास इतना ही पैसा है। 5000/- (पाँच हजार) रुपये लेने के बाद दैनिक भोगी ड्राइवर

श्री उमेश कुमार के द्वारा चाबी दे दी गई। लेकिन ड्राईवर लाईसेंस नहीं दिया गया ।
(ख) अंचल अधिकारी, नौडीहा बाजार के ड्राईवर द्वारा 15 बार से अधिक बार शेष राशि देने के लिए फोन किया गया। जिस मोबाईल नं0 से फोन आया वह नं0- 9693602616 है। इस नं0 की जाँच टु-कॉलर से की गई तो यह नं0 उमेश कुमार के नाम से बताया। इस संबंध में थाना प्रभारी से पूछताछ के क्रम में उनके द्वारा बताया गया कि अंचल अधिकारी अक्सर दो वर्दीधारी चौकीदार को लेकर रोड पर खड़े हो जाते हैं। हाईवा पकड़ लेते हैं और फिर कुछ घंटों के बाद हाईवा छोड़ देते हैं। नियमित रूप से उनके द्वारा ऐसा किया जाता है ।

(ग) अंचल अधिकारी का लिखित अभिकथन प्राप्त हुआ है। उन्होंने अपने अभिकथन में हाईवा की चाबी को जप्त करने की बात स्वीकार किया है। अंचल अधिकारी के द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा ओभर लोडेड हाईवा को दंडित करने के लिए अनुमंडल पदाधिकारी के पत्रांक-261, दिनांक 09.10.2018 के द्वारा आदेश दिया गया है तथा माईस को बंद करने का पत्र लिखा गया है ।

(घ) ओभर लोडेड हाईवा या बिना चालान के पत्थर लदे हाईवा को पकड़कर अविलम्ब थाने में सुपुर्द करते हुए जप्ती प्राप्त कर सक्षम प्राधिकार के पास दण्डाधिरोपण हेतु उपस्थापित करना चाहिए था, जो अंचल अधिकारी द्वारा नहीं किया गया एवं भयादोहन की प्रक्रिया अपनाते हुए अवैध वसूली की मंशा से हाईवा की चाबी और ड्राईविंग लाईसेंस लिया गया है ।

श्री कुमार के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप, उनके द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण, उपायुक्त, पलामू से प्राप्त मंतव्य एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा समर्पित प्रतिवेदन के समीक्षोपरांत विभागीय संकल्प सं0-21901(HRMS), दिनांक 28.06.2023 द्वारा श्री कुमार के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गई। संचालन पदाधिकारी के पत्रांक-13, दिनांक 10.01.2024 द्वारा विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया ।

विभागीय जाँच पदाधिकारी द्वारा अपने प्रतिवेदन में अंकित किया गया कि अभिलेख में रक्षित सभी कागजातों की समीक्षा तथा दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद मैं इस नतीजे पर पहुँचता हूँ कि श्री अभय कुमार, झा०प्र०से०, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी-सह-अंचल अधिकारी, नौडीहा बाजार, पलामू के विरुद्ध गठित विभागीय आरोप सं0-1(क-घ) तक प्रमाणित नहीं होता है।

श्री कुमार के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप, विभागीय कार्यवाही के दौरान उनके द्वारा समर्पित बचाव बयान एवं विभागीय जाँच पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा की गयी।

अतः समीक्षोपरांत विभागीय जाँच पदाधिकारी के प्रतिवेदन से सहमत होते हुए श्री अभय कुमार, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी-सह-अंचल अधिकारी, नौडीहा बाजार, पलामू को आरोप मुक्त किया जाता है ।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के आसाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी एक प्रति श्री अभय कुमार, झा०प्र०से० एवं अन्य संबंधित को दी जाय ।

Sr No.	Employee Name G.P.F. No.	Decision of the Competent authority
1	2	3
1	ABHAY KUMAR 110037710581	श्री अभय कुमार, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी-सह- अंचल अधिकारी, नौडीहा बाजार, पलामू को आरोप मुक्त किया जाता है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

चिन्टु दोराईबुरु,

सरकार के संयुक्त सचिव ।

जीपीएफ संख्या:20060400057
